उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि. अपील वाद सं0 21/2021–22

होपनी मुर्मू.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

एलियास मरांडी.....उत्तरकारी।

आदेश

28.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–37/21–22 में पारित आदेश दिनांक–07.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा शिवनगर अंचल–जामा के अंतिम प्रधान गंगा मरांडी थे जिनकी मृत्यु काफी पूर्व हो चुकी है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक–18.08.2021 को निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, जामा द्वारा इस पर जाँच कर प्रतिवेदन पत्रांक–686/रा0 दिनांक–25.08.2021 को निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया। प्रतिवेदन के साथ ग्राम में की गई ग्रामीणों की आमसभा का भी प्रति संलग्न है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के चतुर्थ पुत्र के द्वितीय पुत्र के पत्नी है एवं उत्तरकारी एलियास मरांडी अंतिम प्रधान स्व0 गंगा मरांडी के चतुर्थ पुत्र के प्रथम पुत्र के पुत्र है तथा वह लगभग वह लगभग 20 वर्षो से अपने मामा घर बॉसजोड़ा में रहते है, किन्तु उनके द्वारा स्थानीय आवासी

प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं राशन कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसमें उत्तरकारी को शिवनगर का निवासी दर्शाया गया है। मौजा के ग्रामीणों द्वारा दिनांक–24.08.2021 को आमसभा कर उत्तरकारी को ही प्रधान बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि उत्तरकारी शिक्षित, I.A (इन्टर) पास है जबकि अपीलकर्त्ता निरक्षर है। आम सभा में उत्तरकारी के समर्थन में 47 ग्रामीणों का हस्ताक्षर है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी ग्राम में नहीं रहते है वह 20 वर्षो से अपने मामा घर बॉसजोड़ा में रहते है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के शिड्डल V के नियम के अनुकूल नहीं है जिसमें उल्लेख है कि "प्रधान को अपने गाँव में निवास करना चाहिए अथवा अपने ग्राम से एक मील के अंदर रहना चाहिए" ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी ग्राम में ही निवास करते है। स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एवं परिवारिक राशन उन्हें उसी मौजा का निर्गत है। ग्रामीणों का भी उन्हें ही प्रधान पर नियुक्ति करने का आम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल

(4)

पदाधिकारी द्वारा पारित ओदश सही है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में उत्तरकारी स्थायी रूप से कहाँ निवास करते है ? इस संबंध में जाँचापरांत ही प्रधान नियुक्ति आदेश पारित किया जाना चाहिए था किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर सम्यक् विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद को पूर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उत्तरकारी के निवास के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन तथा रैयतों का मंतव्य प्राप्त कर नियमानुसार तथा चार सप्ताह के अंदर आदेश पारित करें।

09 — 11-1-22

लेखापित एवं संशोधित

28/12/21
उपायुक्त,
दुमका।

28/12/21
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:31:20 +05:30
Location: 169.254.227.244